संख्या–1601/44–1–2011–90/2008

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव ।
2– समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध नदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

विषय :– सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों/निगमो के नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है–

2– अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष बढ़ाने के संबंध में सर्वप्रथम संबंधित निगम/सार्वजनिक उपक्रम अपने स्तर पर यह परीक्षण कर लेंगे कि उनके यहां अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने पर यदि कोई अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार आता है तो वे उसको वहन करने के लिये सक्षम हैं अथवा नहीं । यदि सक्षम हैं तब अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने के लिये वे अपने निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव रख सकते हैं । यदि निदेशक मण्डल से प्रस्ताव पारित हो जाता है तब संबंधित निगम उस प्रस्ताव को अपने प्रशासकीय विभाग को भेजेंगे जो कि अपने स्तर से उसका परीक्षण करेंगे एवं उसके पश्चात सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करेंगे । अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वे अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने के संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं । यह कार्यवाही अलग–अलग निगम पृथक–पृथक रूप से करेंगे । शासन के अनुमोदनोपरान्त बढ़ी हुई सेवानिवृत्तिक आयु सीमा लागू की जायेगी एवं राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी ।

3– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव